Rajmata Ahilyabai Holkar Samajik Evam Shaikshrik Trust

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 890970

ट्रस्ट / न्यास डीड (दस्तावेज)

राजमाता अहिल्या बाई होल्कर सामाजिक

एवं शैक्षणिक ट्रस्ट दारूनपुर,इटहा,मछलीशहर,जौनपुर उ0प्र0

मै अश्वनी कुमार पाल पुत्र कल्पनाथ पाल निवासी ग्राम दारूनपुर, पोस्ट, इटहा, तहसील मछलीशहर, जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर्ड करता हूँ।

1– यह लोक कल्याणकारी एवं मानवता प्रेमी ट्रस्ट का निर्माण एंव स्थापना आज दिनांक 03/04/2017 ई0 को समाज के विभिन्न उद्देश्यों जन शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य विकास, विज्ञान, नैतिक मूल्यों, कला, साहित्य पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना है।

1- अश्वनी कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 070997

2. ट्रस्ट न्यास की विधिक प्रतिबद्धता–

राजमाता अहिल्या बाई होल्कर सामाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत जा रहा है। इस ट्रस्ट/न्यास 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होगें। जो कि ट्रस्ट एक्ट के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। न्यास ट्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा घोषणा की जाती है कि रू0 11,000/– (ग्यारह हजार) रू0 से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है, कि न्यास/ट्रस्ट के न्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है। आगे यह घोषण की जाती है कि जो भी दान अनुदान चाहे कोष (फण्ड) या सम्पत्ति के रूप मे प्राप्त होगा उसका उपयोग लोग जनकल्याणकारी मानव भलाई शिक्षा स्वास्थ्य गरीबी, उन्मूलन, एंव अन्य जनकल्याणकारी कार्यो के लिए होगा। उसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित होना या बैंक खाते में विवरण दिया जायेगा।

संस्थापक न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं संचालन के हेतु समर्पित है। न्यास/ ट्रस्ट के उद्देश्यों को संचालन कराने के लिए नियुक्ती प्रबंधन/सचिव न्यास/ ट्रस्ट पहले से अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और वैद्यानिक रूप से 11,000/–रू0 (ग्यारह हजार) से अपना मालिकाना अधिकार रखता है। न्यास/ट्रस्ट के समुचित एंव स्थाई सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम पात्र सचिव की नियुक्ति की गयी है। न्यास/ट्रस्ट औपचारिक दस्तवेज क्रियाविन्त करने के लिए यह समझा जाता है कि न्यास/ट्रस्ट निश्चित शर्तो के साथ प्रवन्धक एवं अध्यक्ष को अपना अधिकार प्रदान करती है।

2- अश्वनी कुमार

31/03/01

3539

50/-

न्यास पत्र

11,000.00	500.00	100	600.00	38
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री अश्वनी कुमार पाल
पुत्र श्री कल्पनाथ पाल
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी दारुनपुर पर0 घिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/4/2017 समय 1:46PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(बृजेश कुमार श्रीवा0)प्रभारी
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
7/4/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री अश्वनी कुमार पाल अश्वनी कुमार
पुत्र श्री कल्पनाथ पाल
पेशा कृषि
निवासी दारुनपुर पर0 घिसुवा तह0मछलीशहर
जि0जौनपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान राधेश्याम राधेश्याम
पुत्र सुधई
पेशा कृषि
निवासी मथुरा पर0 घिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर
व छोटेलाल छोटे लाल
पुत्र रामदुलार
पेशा कृषि
निवासी भिखारीपुर पर0 घिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(बृजेश कुमार श्रीवा0)प्रभारी
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
7/4/2017

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 070221

न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा इस दस्तावेज को गवाहो के समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रेषित की जाती है।

1– 11,000/– रू0 (ग्यारह हजार) रू0 न्यास/ट्रस्ट के संम्पति होगी। और बाद में न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलाएगी।

अश्वनी कुमार

3-

क्रमांक 2 स्टाम्प विक्रय करने की तिथि 3 -2017

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...न्यास डीड...

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता अश्वनी कुमार पुत्र कल्पनाथ पाल सा0 दारूनपुर जौ0 हटहां - ...जि0 जौनपुर...

स्टाम्प की धनराशि ...

मुनि राम मौर्य

स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं0 ... की अवधि 2017-18

तहसील मछलीशहर, जौनपुर

न्यासी

Registration No.: 20 Year : 2,017 Book No. : 4

0101 अश्वनी कुमार पाल

कल्पनाथ पाल

दारूनपुर पर0 घिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

भारत | सत्यमेव जयते | INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 070222

2– न्यास/ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम 11,000/– रू0 (ग्यारह हजार) रू0 न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर पूँजी लगना या किसी क्षेत्र के प्राप्त की गयी धनराशि इसके अतिरिक्त दान दाताओ एंव स्वयं से संगठनो तथा किसी संस्था अथवा सोसायटी द्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी। न्यास/ट्रस्ट पर प्रोविजन इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की सभी शर्ते लागू होगी उपरोक्त न्यास/ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो न्यासी/ट्रस्टी बनाये गये ।

अरवती कुमार

4–

क्रमांक 3 ..... स्टाम्प विक्रय करने की तिथि 2-6-2017

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रता का नाम व पूरा पता ....

स्टाम्प की धनराशि ....

गवाह

Registration No.: 20 Year: 2017 Book No.: 4

W1 राधेश्याम

सुधई

मथुरा पर0 घिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

कृषि

W2 छोटेलाल

रामदुलार

मिसारीपुर पर0 घिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

कृषि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 070223

3. ट्रस्ट/न्यास का नाम– राजमाता अहिल्या बाई होल्कर सामाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट।

4. ट्रस्ट/न्यास का स्थायी पता– ग्राम दारूनपुर, पोस्ट, इटहा, तहसील मछलीशहर, जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 478360

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	पद	पता
1	अश्वनी कुमार पाल	कल्पनाथ पाल	प्रबन्धक / अध्यक्ष	ग्राम–दारूनपुर, पोस्–इटहा, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, उत्तर प्रदेश
2	डा0 सन्तोष कुमार पाल	लालबहादुर पाल	उपाध्यक्ष	ग्राम–नान्हूकापूरा, पोस्ट–सोंहासा, मुँगराबादशाहपुर जौनपुर।
3	शीला देवी	अश्वनी कुमार पाल	कोषाध्यक्ष	ग्राम–दारूनपुर, पोस्–इटहा, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, उत्तर प्रदेश
4	देवानन्द	रामआसरे पाल	सचिव	रामनगर, घघरिया, जौनपुर
5	कुँवर बहादुर	रामलखन पाल	सदस्य	बेलवार, बेलवार, मछलीशहर, जौनपुर।
6	सुनील कुमार	मुरलीधर पाल	सदस्य	शिवपुर, मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर।
7	इसरावती देवी	कुँवर बहादुर	सदस्य	बेलवार, बेलवार, मछलीशहर, जौनपुर।

अश्वनी कुमार

6-

5 ट्रस्ट/न्यास निर्माता/न्यासकर्ता :– अश्वनी कुमार पाल पुत्र कल्पनाथ पाल
निवासी ग्राम दारूनपुर, पोस्ट, इटहा,
तहसील मछलीशहर, जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश

6 ट्रस्ट/न्यास कार्य क्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत

7 न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद :– मुख्य न्यासी

8 न्यासधारी ट्रस्टी :– अश्वनी कुमार पाल पुत्र कल्पनाथ पाल
निवासी ग्राम दारूनपुर, पोस्ट, इटहा,
तहसील मछलीशहर, जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश।

09 ट्रस्ट/न्यास का स्वरुप– यह ट्रस्ट/न्यास एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है जो जाति धर्म वर्ग सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जनहित सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए कार्य करेगा।

10. लाभग्राही – हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगो को बिना किसी भेद भाव के सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र के सर्वागीण विकास के लिए यह ट्रस्ट कार्य करेगा एवं सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा।

11. फादयाग्राही व्यक्ति – ट्रस्ट/न्यास द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नही होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमो के विकास में लोग कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

12 ट्रस्ट के उद्देश्य –

1. सामाजिक विकास के लिए विशेष कर इन क्षेत्रो में जैसे भारत वर्ष में निरीह और जरूरत मंद बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तो में अपने उद्देश्यों के निहित से भिन्न–भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओ का संचालन करना एंव उसकी प्रवन्ध समितियो की गठन करना तथा प्रवन्ध समितियों संस्था का संचालन करना।

2. **राजमाता अहिल्या बाई होल्कर सामाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट निवासी ग्राम दारूनपुर, पोस्ट, इटहा, तहसील मछलीशहर, जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश** उसके अन्तर्गत संचालित

अश्वनी कुमार

प्राथमिक एंव जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की कक्षाए संचालित की जायेगी।

3. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय वाचनालय, व्यायामशाला, अस्पताल तथा प्राथमिक, जुनियर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक इण्टर एंव सी0बी0 एस0सी0 बोर्ड आई0सी0एस0 बोर्ड यू0पी0 बोर्ड,महाविद्यालय अभियान्त्रिक कालेज मैडिकल कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हास्पिटल, सामाजिक शिक्षा केन्द्र प्राविधिक शिक्षा केन्द्र आवासीय विद्यालय,निराश्रित सेवा केन्द्र छात्रवास, पशु पालन, गो सेवा सदन, मुर्गी पालन, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कृषि विज्ञान, शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना। मंदिर आदि का निर्माण करना, स्थापना करना व देख–रेख करना।

4. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीब मजदूर महिलाओं पुरूषों के शैक्षिक सामाजिक अर्थिक स्वास्थ्य के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार सिचाई पेयजल, नशा, बन्दी निवारण, सामाजिक कुरीतियों सम्प्रदायिकता का विकास आकस्मिक दुर्घटना में सहायता, महिला उत्पीडन का विरोध व प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण।

अनाथ शिक्षाओं का सरंक्षण व पोषण परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाये जायेगें।

5. समय–समय पर मीटिंग गोष्ठी, सेमिनार अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

6. देश के होनहार प्रतिभाओं सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में एवं उत्कृष्ठ सेवाओं से ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिए नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करेगें।

7. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन प्रतिष्ठानों जिला प्रशासन राज्य सरकार केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन विभिन्न मंत्रालयों व अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा दान,अनुदान प्राप्त करेगा।

8. निराश्रित एवं जरूरतमन्दों की मदद करना न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरूरत मन्दों को स्वरोजगार हेतु कम दर पर ऋण प्रदान करना।

8- अरवती कुमार

9. दलित एवं अति पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति एवं अनु0जनजाति एस0सी0 /एस0टी0 एण्ड ओ0बी0सी0 के उत्थान के लिए कार्य करना।

10. समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं विकलांगो एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना तथा समाज में आदर्श संस्कृति समानता भाईचारा स्थापित करने के लिए कार्य करना।

11. समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करना एवं व्यक्तियों के सांस्कृतिक तथा चारित्रिक निर्माण के लिए प्रयास करना।

12. युवकों को मद्यपान एवं नशाखोरी के प्रभाव से निकालकर पुनर्वास की व्यवस्था करना, तथा उन्हे स्व–रोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।

13. गरीब बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालय जू0हा0स्कूल उ0मा0वि0 तथा महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालित करना।

14. सभी को स्वास्थ्य समृद्धि एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था के लिए कार्य करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करना एवं इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा कृषको को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करना एवं फल प्रशिक्षित करना कृषि आधारित उद्योग के प्रचार प्रसार एवं स्थापना हेतु उपर्युक्त पात्रों को परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

16. प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़िता को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करना। समय–समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

17. मातृ, शिक्षा कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करना तथा प्रचार प्रसार करना।

18. ग्राम्य स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकलां सामाग्रियों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

19. जैविक खेती द्वारा सब्जी,फल,एवं अनाज का उत्पादन कराकर एवं फसलों में रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न कीटों (फसल मित्र) का प्रयोग करना रासायनिक विषाक्तता की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना।

20. गो वंश संरक्षण संवर्धन एवं विकास की दिशा में कृषकों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य करना।

21. सामाजिक वानिकी कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं अन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन एवं सघन वृक्षारोपण की बढ़ाव देना।

22. जगह–जगह पर बनौषधिक उद्यानों की स्थापना करा कर औषधियों (विशेषतः लुप्त प्रायः) का संरक्षण एवं सर्वधन के लिए जागरूकता बढ़ाना।

23. गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतो का विकास एवं प्रचार–प्रसार करना।

24. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करना तथा न्यूज पत्र (समाचार पत्र) सम्पादित करना।

25. खेल कूद पर्यटन योग या लोकगीत लोक सस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार प्रसार करना एवं विकास करना।

26. विभिन्न प्रकार के सूचनाए जैसे– सांस्कृतिक वैज्ञानिक,आर्थिक सामाजिक इत्यादि एकत्र करना तथ्य कार्यशालाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

27. शासन स्तर पर से हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार प्रसार करना एवं उन दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करना।

28. अन्य सभी कार्य करना जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।

29. विभिन्न कार्यो के निराकरण के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना। जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।

30. समय–समय पर गॉव मे शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगें।

31 गरीब एवं अनाथ बच्चो के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रसार होगा।

32. लोगो को नशा मुक्त मिशन से जोड़ने का कार्य करेगी।

आरती अंसार

13. ट्रस्ट/न्यास प्रवन्धकारिणी समिति – ट्रस्ट/न्यास प्रवन्धकारिणी समिति में दस्तावेजो में उल्लिखित/पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेगें। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर।

पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेगें।

14. प्रवन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद : – ट्रस्ट/न्यास के प्रवन्धकारिणीय समिति में उत्तरदायी प्रवन्धक/अध्यक्ष ट्रस्टी होगें। इस ट्रस्ट के प्रवन्धक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगें।

15 –ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता :– ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी।

1– संस्थापक ट्रस्टी :– **अश्वनी कुमार पाल पुत्र कल्पनाथ पाल निवासी ग्राम दारूनपुर, पोस्ट, इटहा, तहसील मछलीशहर, जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश** के संस्थापक ट्रस्टी होगें जिन्हे अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी में से यदि कोई स्थान रिक्त होता है। तो कोई एक उत्तराधिकारी या अपनी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे या स्वंय किसी को नामित अपनी जीवन काल में ही कर देगें।

2. मुख्य ट्रस्टी/न्यास – **अश्वनी कुमार पाल पुत्र कल्पनाथ पाल निवासी ग्राम दारूनपुर, पोस्ट, इटहा, तहसील मछलीशहर, जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश.** मुख्य ट्रस्टी होगे। इन्हे प्रवन्धक ट्रस्टी की तरह समस्त अधिकार प्राप्त होगे। इनमें से ये किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

3. सहयोगी ट्रस्टी/न्यास – जो व्यक्ति ट्रस्ट को 2500/– दो हजार पॉच सौ रुपयें सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा। वह पॉच वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्ट/न्यास होगा। इसके लिए संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के खिलाफ काम करने पर प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा निलंवित किये जा सकते है।

अश्वनी कुमार

4. सहयोगी ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता समाप्ति :- पागल होने दिवालिया होने मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्याग पत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगा। या ट्रस्ट/न्यास सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर प्रबन्धकारिणीय समिति द्वारा निलंबित किये जा सकते हैं।

प्रबन्धक को अधिकार होगा कि कोई भी अनियमितता पाने पर ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी का पद समाप्त कर उसे निष्कासित कर सकता है।

16. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. चल अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना व रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना या किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना नियुक्ति करना, निष्कासन करना, व किसी अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदिन करना या उसे निरस्त करना।
3. ट्रस्ट/न्यास के अन्तर्गत संचालिक संस्था के परियोजनाओं के संचालन मे समितियों व मुख्य समितियों को गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना उन्हे अधिकार प्राप्त कराना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
4. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियां संस्थाओं व परियोजनाओ को अलग-अलग बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हे बन्द कराना या परिर्वतन कराना।
5. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद-विवाद के पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा वार्षिक आय-व्यय का लेखा जोखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
6. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरूद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।
7. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियाविन्त करना।
8. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगें।

12 आरती कुमारी

20– ट्रस्ट/न्यास का कोष :– ट्रस्ट/न्यास अपने किसी निजी या अपने अधीनस्त किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक या पोस्ट आफिस में प्रवन्धकारिणी समाति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके प्रवन्धक एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर से खाता खुल सकता हैं। तथा कोई भी धन इनमे से दोनों के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा आवश्यकतानुसार उन खातों में परिर्वतन कर सकता है। एवं चयनित पदाधिकारी का नाम परिर्वतन कर सकता है। ट्रस्ट/न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित होगा।

21– विवादित स्थित निर्णय:–

ट्रस्ट/न्यास में से किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति होने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेजो के मुताविक समस्त अधिकार प्राप्त होगे। और वे ट्रस्ट में सचालन के लिए स्वंय उत्तरदायी होगें। तथा प्रवन्धक ट्रस्ट की प्रवन्ध कार्यकारिणीय समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनित कर सकेगें। और ट्रस्ट/न्यास के समस्त चल अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगें। ऐसी परिस्थति में अतिंम प्रबन्धकारिणीय समिति एवं प्रवन्धक का निर्णय मान्य होगा। किसी परिस्थियति में कोई ट्रस्टी सदस्य किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास तथा उससे संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

22– ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड एवं अभिलेख :–

सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाऊचर, फाइल, सदस्यता फाइल, रसीद बुक, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होगें जो प्रवन्धक के पास होगा।

23–अनुशासनत्मक कार्यवाही :–

ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधिनस्थ किसी संस्था समिति के किसी प्रकार के पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही का निर्णय ट्रस्ट प्रवन्धक कार्यकारिणीय समिति करेगी।

24- वाद/विवाद (प्रतिवाद) :-

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादो का कार्यक्षेत्र जौनपुर (उ०प्र०) में रहेगा। तथा ट्रस्ट/न्यास दूसरे द्वारा ट्रस्ट परदायक वाद/विवाद/ प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होगें, व्यक्तिगत नाम से नही और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद-प्रतिवाद की परैवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारियों को मनोनित कर सकता है। तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

25- परियोजनाओं की संचालन में ट्रस्ट/न्यास की व्यापकता :-

ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं परियोजनाओं का ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता हैं जो कि भारत वर्ष के किसी प्रान्त, जिले, तहसील,व ग्रामों में चलाई जायेगी।

26- पदो का सृजन :-

ट्रस्ट/न्यास आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमो के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदो का सृजन कर सकता है और पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता हैं। तथा सम्बन्धित कार्यक्रमो की प्रवन्ध समितियों गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों से मनोनित करके उन्हे कार्य सौंप सकता है।

27- ट्रस्ट/न्यास का विस्तार राजमाता अहिल्या बाई होल्कर सामाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट के अपनें कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

29—लेखा /जोखा (आडिट) :–

आर्थिक वर्ष के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास अपने लेखा जोखा को चुस्त, दुरूस्त और उसकी आडिट भी करायेगा। आवश्कता पड़ने पर खर्चे से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों /मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा। तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) की मदद भी ले सकता है।

टाईपकर्ता–संदीप कुमार मौर्य

मसविदाकर्ता– दीनदयाल मिश्रा (एडवोकेट) तहसील मछलीशहर, जौनपुर।

दस्तावेज तैयार किया गया।

अश्वनी कुमार

गवाह–

8)3)9)1966

1. राधेश्याम पुत्र कुन्धारी स्था० मधुरी ग्राम - चिरकुवा, तहसील - मछलीशहर जौनपुर

राधेश्याम

9919228841

2. छोटे लाल पुत्र रामदुलार स्था० मिरवारी ग्राम - चांदीहार मछलीशहर जौनपुर

छोटे लाल

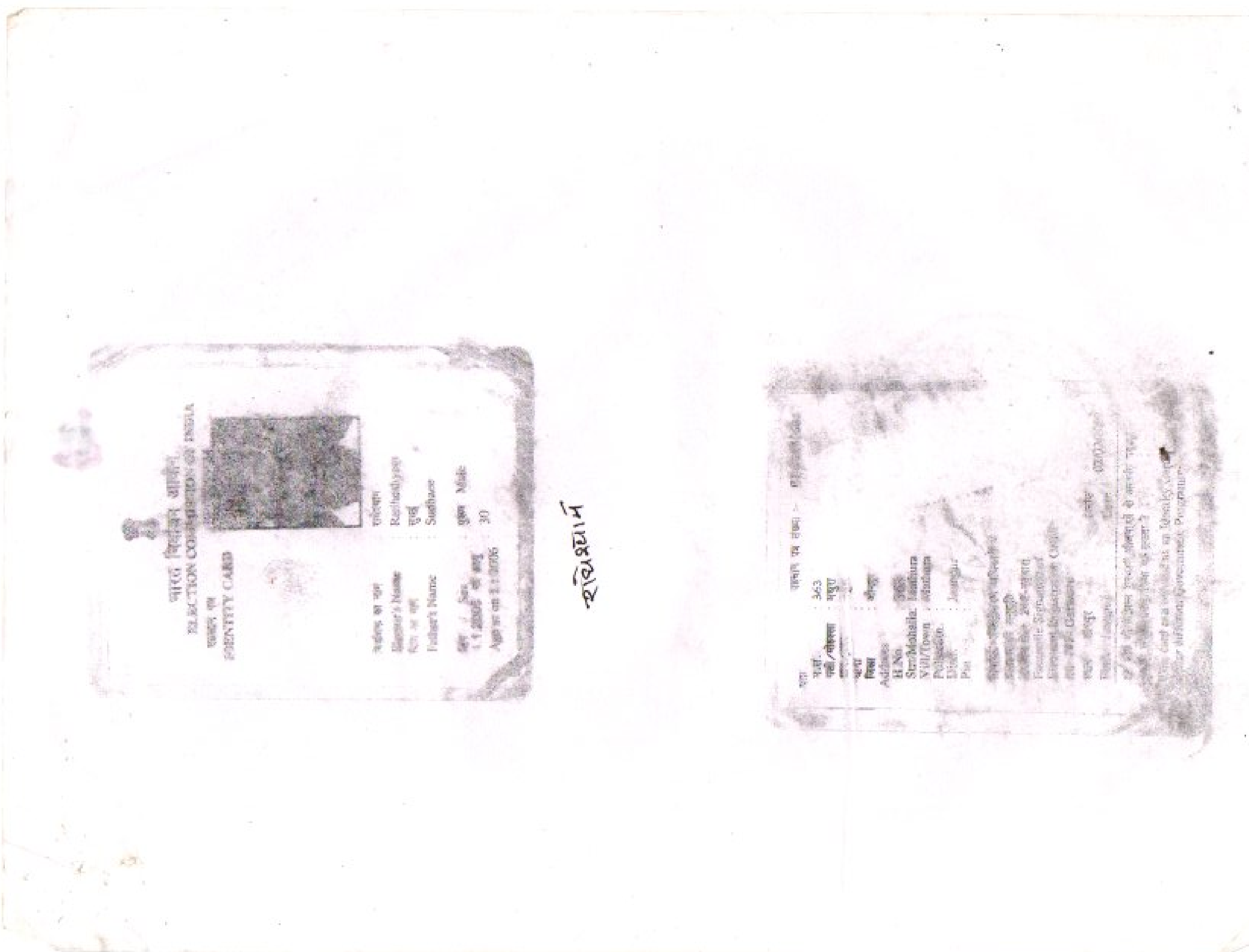

आज दिनांक 07/04/2017 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 31

पृष्ठ सं. 249 से 286 पर कमांक 20

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(वृजेश कुमार श्रीवा0)प्रभारी
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
7/4/2017